न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी— शिव चरण मीना
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
05 / 2020 / प्रा.पत्र / 2020	13.01.2020	08.12.2022

डॉ. मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

............प्रार्थी

बनाम

1—श्री राजेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री मोहनलाल जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स गणेश ट्रेडिंग कम्पनी सुभाष मार्केट मालपुरा जिला टोंक निवासी सुभाष मार्केट मालपुरा जिला टोंक

2—मैसर्स गणेश ट्रेडिंग कम्पनी सुभाष मार्केट मालपुरा जिला टोंक

3—श्री जिनेन्द्र जैन पुत्र श्री ओमप्रकाश जैन निवासी प्लॉट नं. 15 श्रीमालों का मोहल्ला मालपुरा जिला टोंक प्रोपरायटर मैसर्स श्री सन्मति ट्रेडर्स माणक चौक बाजार मालपुरा जिला टोंक

4—मैसर्स श्री सन्मति ट्रेडर्स माणक चौक बाजार मालपुरा जिला टोंक

5—श्री अमित गुप्ता पुत्र श्री मोहनलाल गुप्ता निवासी बी—82 एल.एस.नगर, नया खेडा, विद्याधर नगर जयपुर प्रोपरायटर मैसर्स श्री ताडकेश्वर एग्रो फूड प्रोडक्ट एच 1—37 / 37ए, रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया, सरना डूंगर, झोटवाडा एक्सटेंशन जयपुर राज.

6—मैसर्स श्री ताडकेश्वर एग्रो फूड प्रोडक्ट एच 1—37 / 37ए, रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया, सरना डूंगर, झोटवाडा एक्सटेंशन जयपुर राज.

.........अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित—

1—पेरोकार सरकार।

2—अभिभाषक अप्रार्थीगण श्री दिनेश कुमार शर्मा।

:—निर्णय—: **दिनांक 08.12.2022**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 25.07.2019 को समय 06:22 पी.एम पर मैसर्स गणेश ट्रेडिंग कम्पनी सुभाष मार्केट मालपुरा जिला टोंक राज. पर पहुँचा। वहाँ पर श्री राजेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री मोहनलाल जैन मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री राजेन्द्र कुमार जैन ने स्वंय को मैसर्स गणेश ट्रेडिंग कम्पनी सुभाष मार्केट मालपुरा जिला टोंक राज. का मालिक / प्रोपरायटर होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि दुकान में आम जनता को विक्रय करने हेतु अन्य खाद्य पदार्थों के साथ **रिफाइंड पाम ऑयल बिलोवना ब्राण्ड मूल पैक (Refined Palm Oil Bilowana Brand Origional Pack)** जिसके बैच नं. एसटी—42 व पैंकिंग दिनांक दिसम्बर / 2018 थी, 470—470 ग्राम के 16 मूल पैक रखे हुये थे, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री राजेन्द्र कुमार जैन को फार्म नं. VA Form दो

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

प्रतियों में नियमानुसार भरकर, विक्रेता को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री राजेन्द्र कुमार जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **रिफाइंड पाम ऑयल बिलोवना ब्राण्ड मूल पैक (Refined Palm Oil Bilowana Brand Origional Pack)** वास्ते मानक स्तर की जॉच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है, 470–470 ग्राम के 4 मूल पैक खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता व गवाह के नियमानुसार हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 470–470 ग्राम के 4 नग कुल मात्रा 1880 ग्राम **रिफाइंड पाम ऑयल बिलोवना ब्राण्ड मूल पैक (Refined Palm Oil Bilowana Brand Origional Pack)** को 470–470 ग्राम के मूल पैक को ज्यों का त्यों खाकी कागज से लपेटर एवं चारों नमूना भागों के लिए नियमानुसार चार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया और प्रत्येक लेबलों डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–2225 एवं पूर्ण विवरण अंकित किया प्रत्येक लेबल पर स्वंय ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर करायें तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोंद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–2225 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें चारों नमूना भाग नियमानुसार मोके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

खाद्य पदार्थ पाम ऑयल का नमूना कय करते समय श्री राजेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री मोहनलाल जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स गणेश ट्रेडिंग कम्पनी सुभाष मार्केट मालपुरा जिला टोंक ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स श्री सन्मति ट्रेडर्स माणक चौक बाजार मालपुरा जिला टोंक का खरीद बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ कय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छ प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर पुनः सील चपडी कर नियमानुसार तैयार किया एवं एक नमूना श्रीमान खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को भेजा एवं नमूना जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए. / 19 / 2197 दिनांक 03.09.2019 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोट सं. एल0 एस0 / 1700 / एक्ट / 2019 / 1232 दिनांक 05.08.2019 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जॉच करवाने हेतु कय किया गया **रिफाइंड पाम ऑयल बिलोवना ब्राण्ड मूल पैक (Refined Palm Oil Bilowana Brand Origional Pack)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 का उल्लंघन करने के कारण **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया जिसकी जांच रिपोर्ट अप्रार्थी को रजिस्ट्रर्ड डाक से भिजवायी गयी।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक ने प्रबंधक मैसर्स श्री सन्मति ट्रेडर्स माणक चौक बाजार मालपुरा जिला टोंक को पत्र प्रेषित कर फार्म नं. 5 ए की सूचना व आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने बाबत् पत्र प्रेषित किया जिसके प्रतिउत्तर में उक्त फर्म के व्यवहारी द्वारा अपनी फर्म के दस्तावेज प्रस्तुत कर बतौर वारन्टी मैसर्स श्री ताडकेश्वर एग्रो फूड प्रोडक्ट एच 1–37/37ए, रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया, सरना डूंगर, झोटवाडा एक्सटेंशन जयपुर राज. का खरीद बिल प्रेषित कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

वारंटी व निर्माता होने के कारण आवेदक ने प्रबंधक मैसर्स श्री ताडकेश्वर एग्रो फूड प्रोडक्ट एच 1–37/37ए, रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया, सरना डूंगर, झोटवाडा एक्सटेंशन जयपुर को पत्र प्रेषित कर फार्म नं. 5 ए व नमूना जांच की सूचना व आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने बाबत् पत्र प्रेषित किया जिसके प्रतिउत्तर में उक्त फर्म के व्यवहारी द्वारा अपनी फर्म के दस्तावेज प्रस्तुत कर उक्त फर्म का प्रोपरायटर श्री अमित गुप्ता पुत्र श्री मोहनलाल गुप्ता होना बताया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से उनके अभिभाषक श्री दिनेश कुमार शर्मा उपस्थित हुए एवं बहस की तथा अपनी बहस में अप्रार्थीगणों की ओर से जुर्म स्वीकार करते हुए न्यूनतम शास्ति आरोपित करने का निवेदन किया। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **रिफाइंड पाम ऑयल बिलोवना ब्राण्ड मूल पैक (Refined Palm Oil Bilowana Brand Origional Pack)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **रिफाइंड पाम ऑयल बिलोवना ब्राण्ड मूल पैक (Refined Palm Oil Bilowana Brand Origional Pack)** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 1 श्री राजेन्द्र कुमार जैन पर शास्ति रूपये 10,000/–(अक्षरे दस हजार रूपये), अप्रार्थी सं. 3 श्री जितेन्द्र जैन पर शास्ति रूपये 10,000/–(अक्षरे दस हजार रूपये) तथा अप्रार्थी सं. 5 श्री अमित गुप्ता पर 20,000/–(अक्षरे बीस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 08.12.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.12.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(शिव चरण मीना)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक